संख्या–4440 / इक्कीस–3 (40)–76

प्रेषक,

श्री कृपा नारायण श्रीवास्तव,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी,
जिला न्यायाधीश और अन्य प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0।

भाषा अनुभाग –1 लखनऊ, दिनांक 26, जनवरी, 1977

विषयः– सरकारी कार्यों में हिन्दी का प्रयोग।

महोदय,

देखने में आया है कि सरकारी विभागों तथा कार्यालयों द्वारा अभी भी अंग्रेज़ी में पत्र व्यवहार किया जा रहा है। यह उचित नहीं है। भारत सरकार, हिन्दी भाषी राज्यों तथा ऐसे अहिन्दी भाषी राज्यों (गुजरात, महाराष्ट्र तथा पंजाब) से भी जिनसे उत्तर प्रदेश सरकार का हिन्दी में पत्र व्यवहार करने का करारनामा हो चुका है, हिन्दी में पत्र व्यवहार करने में कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु केवल ऐसे मामलों में जिनमें पत्र हिन्दी में होने के कारण उनके निस्तारण में विलम्ब हो जाने की आशंका हो, हिन्दी के मूल पत्र के साथ उसका अंग्रेज़ी अनुवाद भेजा जा सकता है।

2– विदेशी विशेषज्ञों तथा ऐसे अहिन्दी भाषी राज्यों को भी, जिनसे उत्तर प्रदेश शासन का हिन्दी में पत्र व्यवहार करने का करार नहीं हुआ है मूल पत्र हिन्दी में ही भेजें जायें। किन्तु उनका अंग्रेज़ी अनुवाद अनिवार्य रूप से संलग्न कर दिया जाय।

3– इस सम्बन्ध में मुझे आपका ध्यान शासनादेश संख्या–2141 / इक्कीस–3 (20)–76, दिनांक 14 जुलाई, 1976 तथा उसमें उल्लिखित महत्वूपर्ण आदेशों की ओर भी आकर्षित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि इन आदेशों को समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के ध्यान में ला दिया जाय और यह भरपूर प्रयास किया जाय कि भविष्य में शासन के समक्ष हिन्दी सम्बन्धी आदेशों की कोई शिकायत न आने पाये।

भवदीय,

कृपा नारायण श्रीवास्तव,
मुख्य सचिव

संख्या–4440(1) / इक्कीस–3 (40)–76 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषितः–

1– सचिवालय के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग।
2– प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उद्यमों के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक।

आज्ञा से,

कृपा नारायण श्रीवास्तव
मुख्य सचिव